

# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)

दुग्ध संघ द्वारा स्थापित बीएमसी से डेयरी संयंत्र तक इन्सुलेटेड टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा  
(निविदा सूचना क्रमांक 2531 दिनांक 20.11.2024)

## तकनीकी निविदा प्रपत्र

### भाग – "अ"

1. निविदा प्रपत्र संख्या : .....
  2. निविदा सन्दर्भ : 11 / 2024-25
  3. निविदा विषय : ताप-प्रतिरोधक (इन्सुलेटेड) वाहन (टैंकर) द्वारा दुग्ध परिवहन मार्गो पर स्थित बीएमसी दुग्ध समितियों से उदयपुर डेयरी संयंत्र तक प्रतिदिन दूध परिवहन के अनुबंध कार्य की आपूर्ति हेतु।
  4. निविदा अवधि : एक वर्ष
  5. ई-निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की दिनांक : दिनांक 20.11.2024 सांय 5.00 बजे से  
(From govt site:<http://eproc.rajasthan.gov.in>)
  6. ई-निविदा प्रपत्र अपलोडिंग की अन्तिम दिनांक व समय : दिनांक 02.12.2024 अपरान्ह 4.00 बजे तक
  7. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई-निविदा प्रोसिसिंग शुल्क के मूल डिमांड ड्राफ, प्रपत्र पीएण्डआई अनुभाग में जमा कराने की दिनांक व समय : दिनांक 03.12.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक
  8. तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र भाग अ खोलने की दिनांक व समय : दिनांक 04.12.2024 अपरान्ह 3.00 बजे
  9. वित्तीय ई-निविदा प्रपत्र भाग ब खोलने की दिनांक व समय : बाद में सूचित किया जावेगा।
  10. निविदा प्रपत्र शुल्क : रु. 1180 /-(1000+18%GST)  
(DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
  11. अमानत राशि शुल्क : रूपया 100000 /-  
(DD in favour of Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd, Udaipur)
  12. ई-निविदा प्रोसिसिंग शुल्क : रूपया 2000 /-  
(DD in favour of MD, RISL Jaipur)
  13. क्या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध संघ में कार्यरत है, अगर हां तो उनका नाम एवं निविदादाता से सम्बन्ध उल्लेखित करें- .....
  14. क्या आप या आपका कोई भी रिश्तेदार दुग्ध समिति के सचिव/कर्मचारी प्रबन्धकार्यकारी के सदस्य है। यदि हां तो समिति का नाम एवं पद का उल्लेख करे .....
  15. निविदा दाता द्वारा भरी जाने वाली दरें : कृपया निविदा प्रपत्र भाग "ब " (BOQ) में अंकित करे
  16. निविदादाता का नाम एवं पता : .....  
.....  
फोन न./मोबाईल न. ....
  17. निविदा खोलने का स्थान : उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर  
गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)
- नोट – 1. निविदा सूचना में विवरण अनुसार तीनो मूल डिमान्ड ड्राफ ( ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई-निविदा प्रोसिसिंग शुल्क ) सम्बन्धित कार्यालय के पीएण्डआई अनुभाग मे उपस्थित होकर जमा कर रसीद प्राप्त करें। डिमान्ड ड्राफ्ट. स्वयं के बैंक खाते से बना हुआ होना आवश्यक है।  
2. उक्त निविदा 15 बीएमसी मार्गो के लिये हैं।  
3. निविदादाता दुग्ध संघ में दुग्ध परिवहन कार्य करने हेतु केवल एक टैंकर हेतु निविदा भर सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED**  
**GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

---

**PART A**

**Technical & Pre Qualification Bid**

E-Tender for Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

**(Tender Notice No. : 2531 Dated 20.11.2024)**

1. Name and full postal address \_\_\_\_\_  
of firm submitting the application \_\_\_\_\_  
Form (Block letters) \_\_\_\_\_  
Phone No. \_\_\_\_\_ Mobile No. \_\_\_\_\_
2. Nature of Firm :- Proprietor/Partnership/Company/Others (Specify)
3. To be filled by the tenderer himself :-

(i) Tender form fee :Rs. \_\_\_\_\_ vide  
D.D.No. \_\_\_\_\_  
Name of Bank \_\_\_\_\_  
Dated \_\_\_\_\_

(ii) Earnest Money Details : :Rs. \_\_\_\_\_ vide  
D.D.No. \_\_\_\_\_  
Name of Bank \_\_\_\_\_  
Dated \_\_\_\_\_

(iii) E-tender processing fee : :Rs. \_\_\_\_\_ vide  
D.D.No. \_\_\_\_\_  
Name of Bank \_\_\_\_\_  
Dated \_\_\_\_\_

Note :- Physical deposition of all three demand drafts (for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money) should be submitted manually in the office of Tendering Authority before 3 PM of 03.12.2024 as specified in tender notice.

*Signature of Tenderer*

- **भाग अ के साथ निम्न कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करे।**
  1. फर्म का पंजियन प्रमाण पत्र/पार्टनरशीपडीड ।
  2. टेंकर का विवरण, रजिस्ट्रेशन संख्या ( रजिस्ट्रेशन, ईन्श्योरेन्स, परमीट, फिटनेस आदि)।
  3. विगत दो वर्षों की आयकर विवरणी।
  4. पेन न. की छाया प्रति।
  5. निविदादाता का जी.एस.टी. न. की प्रति ।
  6. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर आवश्यक है।
  7. राजस्थान राज्य के उदयपुर अथवा सलुम्बर जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
  8. डेयरी उद्योग मे बीएमसी दुग्ध समितियों से RAW MILK का दुग्ध परिवहन कार्य टेंकर से करने का 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है व ब्लेक लिस्टेड नही होना चाहिये ।
  9. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act 2006) के तहत रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स की छाया प्रति। अगर निविदा भरते वक्त लाईसेन्स उपलब्ध नही है तो निविदा कार्य मिलने पर निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
  10. अडरटेकिंग एण्ड डिक्लेरियेशन ANNEX - C - 1,2,3,4,5
  11. निविदा प्रपत्र शुल्क ( ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि और ई- निविदा प्रोसिसिंग शुल्क ) की डी डी की स्केन प्रति ।
  12. पता प्रमाणित हेतु कोई भी एक राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, विद्युत बिल, आधारकार्ड इत्यादि।
  13. निविदादाता द्वारा जो वाहन दुग्ध संघ में अनुबन्ध हेतु लगाया जाता है वह वाहन किसी अन्य दुग्ध संघ में अनुबन्धित नहीं होना चाहिये। इस बाबत निविदादाता को रू. 100/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  
**वाहन संख्या :- ..... आर.सी. प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें ।**
  14. वाहन सम्बन्धी सूचना Annexure-6 में भरकर Upload करें।
- **निविदादाता द्वारा निविदा दर मय समस्त टैक्स सहित निर्धारित प्रपत्र भाग ब के BOQ मे भरी जावे।**

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED**  
**GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

Instructions for uploading E-tender form & documents:-

I. Submission of E-Tender Form & Document: (Only through Online procedure)

Please read carefully the steps of submitting Tender form Online & also you have to follow instruction of e-procurement site for filling E-tender form. E-Tender form should be uploaded separately in two parts, viz. PART A & PART B (unpriced & priced).

**PART A :** Before Uploading UNPRICED TENDER, it should be ensured that all the Technical & Commercial details including conditions of contract & relevant documents etc. (duly digitally signed by tenderer) & Scan copy of Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fees (DD/payorder) are ready for uploading.

If scan copy of documents mentioned page no. 3 (Clearly visible) are not uploaded with Part-A of Tender form, Part-B of that tenderer will not be opened/consider for finalization of the tender work. In addition to it please ensure

I. Submission of Demand Draft

- a) Scan copy of Demand Draft for Tender form fee, Earnest Money & E-tender processing fee.
- b) Physical deposition of all three demand drafts before 3 PM of 03.12.2024 as specified in tender notice.

**PART B :** PRICED TENDER fill with Schedule of Rates duly filled (only in prescribed format BOQ in .xls format), digitally signed on that page.

- (a) Interested party/bidder/tenderer can be download tender form from official website <http://eproc.rajasthan.gov.in>
- (b) Tenderer who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> To participate in online tenders, tenderer will have to procure digital signature certificate (type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their electronic tender documents. Tenderer can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safecrypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement cell, Department of IT &C, Government of Rajasthan for further assistance. Tenderer who have a valid digital certificate need not procure a new digital certificate.  
Address:- e-procurement Cell, RISL, Yozana Bhawan, Tilak Nagar, C-Scheme, Jaipur
- (c) Tenderer shall submit their offer on line in electronic formats both for technical and financial proposal however Demand Draft for tender form fee, E-tender processing fee and earnest money should be submitted manually in the office of Tendering Authority (Udaipur Dairy, Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur) before date & time of opening of technical bids as mentioned in tender notice. Scanned copy of Demand Draft should be uploaded along with online bid.
- (d) Tender form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
- (e) The quoted rate should be filling (on the basis of rupees per km) in prescribed format of PART B of tender form (.xls BOQ) only.

*Signature of Tenderer*

# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)

## निविदा प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, शर्तें एवं आवश्यक निर्देश

- (1) निविदा प्रपत्र दो भागों में भाग (अ) तकनीकी निविदा एवं भाग (ब) वित्तीय निविदा के रूप में विभाजित है।
- (2) उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर तकनीकी व वित्तीय दृष्टी से सक्षम एवं सुदृढ़ उदयपुर एवं सुलम्बर जिले के भारतीय नागरिक व्यक्तियों/एचयूएफ/फर्म/कम्पनियों से निविदा सुचना में वर्णित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित करता है।
- (3) दुग्ध संघ औद्योगिक संस्था है अतः दुग्ध संघ के नित प्रतिदिन के नियमित माल परिवहन हेतु निविदादाता का उदयपुर या सलुम्बर का निवासी होना अनिवार्य है। जिससे संघ को कार्य निष्पादन में बाधा नहीं आये।
- (4) पूर्ण भरे हुए निविदा प्रपत्र के हर पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। भागीदारी के केस में किसी भी एक भागीदार द्वारा, जिसके हक में मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटोर्नी) होगा, हस्ताक्षरित किया जावेगा। साथ में भागीदारी सम्बन्धी वैध दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। पंजीकृत कम्पनी/ समस्त भागीदारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को निविदा प्रपत्र भरने का अधिकार प्रत्र मूल ही संलग्न करना होगा। उक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता होने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
- (5) प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने पर यह मान लिया जावेगा कि निविदादाता द्वारा नियम एवं शर्तें पढकर समझ लिये गये है। निविदादाता द्वारा नियम एवं शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। यदि निविदादाता द्वारा किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो निविदा निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (6) निविदादाता अयोग्य, ब्लैक लिस्टेड, अव्यस्क एवं न्यायालय से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिये।
- (7) निविदा प्रपत्र पर नाम पता व सम्पर्क व्यक्ति का नाम, फोन न. स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। उक्त व्यक्ति को भेजी गई डाक प्राप्त कर ली गई मान ली जावेगी चाहे वह निविदादाता को प्राप्त हो या न हो।
- (8) दर प्रति किलोमीटर प्रति 9000 किलो दूध परिवहन क्षमता के आधार पर अंको एवं शब्दों में BOQ में अंकित की जावें। किसी प्रकार की शंका होने पर शब्दों में लिखी गई दर अन्तिम मानी जावेगी।
- (9) निविदा प्रपत्र में अंकित वाहन के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रोड परमिट एवं फिटनेस सर्टिफिकेट की छाया प्रति) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने होंगे। अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (10) निविदादाता द्वारा निविदा प्रस्तुत के साथ उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर के हक में रू. 100000/- (अक्षरे एक लाख मात्र) डिमान्ड ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में सलग्न करना होगा। **चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।** अमानत राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा। पूर्व में जमा अमानत राशि स्वीकार नहीं की जावेगी। दुग्ध संघ द्वारा अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (11) निविदा नोटिस में दिये गये निर्धारित दिनांक एवं समय पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, उदयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदादाता को निविदाकक्ष में उपस्थित रहने की अनुमति है।
- (12) एक या एक से अधिक निविदाओं को निविदादाताओं की न्युनतम दर पर चलने की सहमति से आवश्यकतानुसार स्वीकार करने एवं कार्य आदेश दिये जाने के समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, उदयपुर के पास सुरक्षित रहेंगे, समस्त या किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने के समस्त अधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगे। किसी भी निविदादाता को इस सम्बन्ध में कारण पूछने का अधिकार नहीं होगा।
- (13) निविदा स्वीकारोक्ती हेतु खोली जाने की दिनांक से 3 माह हेतु खुली रहेगी।
- (14) निविदादाता निविदा के समय उसके किसी भी व्यक्ति या फर्म को होने वाली किसी भी क्षति के लिये दुग्ध संघ को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेगा। उक्त समस्त क्षति पूर्ति की जिम्मेदारी निविदादाता की स्वयं की रहेगी।
- (15) निविदा खोली जाने के पश्चात निविदा भरी जाने में होने वाली लापरवाही के कारण निविदा पुनः उठाने का अधिकार निविदादाता को नहीं होगा।
- (16) जिन निविदादाताओं की निविदाये अस्वीकृत होती है उसकी धरोहर राशि निविदा खोलने के तीन माह के भीतर लौटा दी जावेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (17) स्वीकृत निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में रू. 1000/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध प्रतिपादित करना होगा। जिसमें होने वाला खर्च निविदा दाता को वहन करना होगा।
- (18) यह माना जावेगा कि स्वीकृत ठेकेदार द्वारा निविदा के नियम एवं शर्तों की पूर्ण जानकारी कर ली है। किसी भी प्रकार की शंका होने पर अनुबन्ध हस्ताक्षर करने के पहले प्रबन्ध संचालक अथवा प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना वान्छनीय है।
- (19) स्वीकृत निविदादाता द्वारा निविदा अनुबन्ध हस्ताक्षर में निर्धारित सीमा से देरी करने अथवा मना करने पर उसकी अमानत राशि/धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (20) अमानत राशि के लिये डिमान्ड ड्राफ्ट : निविदा फार्म के साथ संघ कार्यालय में रूपये 100000/- (अक्षरे:- एक लाख रूपये मात्र) की डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करनी होगी एवं निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को रूपये 300000/- (अक्षरे:- तीन लाख रूपये मात्र ) की बैंक गारण्टी 30 माह के लिये संघ में जमा करानी होगी। तथा 100000/- (अक्षरे:- एक लाख रूपये मात्र) डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराने होंगे इस प्रकार कुल धरोहर राशि 500000/- (अक्षरे:- पांच लाख रूपये मात्र) होगी।
- (21) निविदा अवधि सामान्यतया कार्य आदेश दिये जाने से **एक वर्ष** के लिए मान्य होगी तत्पश्चात यदि निविदाकर्ता का कार्य सन्तोषप्रद पाया जाता है तो आपसी सहमति के पश्चात् पुनः उन्ही नियम एवं शर्तों पर अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए अभिवृद्धि की जा सकेगा। साथ ही संघ द्वारा सामयिक परिस्थितियों के मद्देनजर संघ हित में कोई अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाती है तो उसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा। निविदा अवधि के पश्चात अनुबन्ध उन्ही नियम एवं शर्तों पर तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकेगा। जिसके लिए निविदादाता को मना करने का अधिकार नहीं होगा। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि अनुबन्धकर्ता का कार्य असन्तोषप्रद पाया जाता है या निर्धारित वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है या संघ विरोधी किसी भी गतिविधि के होने पर प्रबन्ध संचालक के पास अनुबन्ध निरस्त करने के पूर्ण अधिकार रहेगा।
- (22) निविदादाता को निविदा के साथ अथवा अनुबन्ध के समय अपने पिछले दौ वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि उपलब्ध करानी होगी।
- (23) निविदादाता निर्धारित कार्य किसी अन्य व्यक्ति या एंजेंसी को अपने स्वयं के स्तर पर हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। यह कि स्वीकृत अनुबन्ध किसी कारणवश यदि अनुबन्ध को हस्तान्तरण करना चाहता है ऐसा वह तभी कर सकेगा जब अपने कार्यकाल का अबकाया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने एवं प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति उपरांत अनुबन्धक द्वारा हस्तान्तरण शुल्क रू. 100000/- (एक लाख) संघ कार्यालय में जमा कर दिया गया हो।
- (24) निविदा अवधि में निर्धारित कार्य को सफल रूप से निष्पादित करने हेतु आवश्यक सचरित्र, व्यक्तियों को कार्य पर लगाने निविदादाता की जिम्मेदारी रहेगी। मजदूरों अथवा अन्य हडताल के दौरान पूर्ण व्यवस्था करना भी निविदादाता की जिम्मेदारी रहेगी। दुग्ध संघ के कर्मचारियों की हडताल, यदि कभी होतो, के दौरान ठेकेदार के व्यक्ति काम करना बन्द नहीं कर सकेंगे।
- (25) निविदादाता फ़ैक्ट्री अधिनियम के अनुसार कार्य करेंगे एवं कार्य के लिए लगाए गये स्टाफ की कर्मचारी राज्य बीमा एवं भविष्य निधि राशि भुगतान करेंगे व इसकी सत्यापित प्रतिलिपि दुग्ध संघ में प्रस्तुत करेंगे। यदि ठेकेदार उक्त राशि जमा कराने के सबूत पेश नहीं करता है तो दुग्ध संघ उक्त आवश्यक राशि ठेकेदार के बिल से कटौती कर सम्बन्धित प्राधिकारी विभाग को जमा करावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (26) किसी भी प्रकार के नियमों एवं शर्तों की अवहेलना की जाने पर निविदा निरस्त करने के पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर के पास सुरक्षित होंगे। ऐसी स्थिति में ठेकेदार के कारण होने वाली नियमों की अवहेलना के कारण होने वाली समस्त हानि की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। प्रबन्ध संचालक को निविदा की शेष अवधि हेतु पुनः निविदा करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं इस कार्य का दर अन्तर (यदि अधिक हो तो) सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
- (27) निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी उदयपुर दुग्ध संघ कर्मचारी का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी सैं हैं)।
- (28) निविदादाता उदयपुर दुग्ध संघ की किसी भी दुग्ध समिति का सचिव अथवा अन्य कर्मचारी या प्रबन्धकार्यकारीणि का सदस्य अथवा सचिव का प्रथम डिग्री रिश्तेदार नहीं होना चाहिये। (प्रथम डिग्री से तात्पर्य है कि कर्मचारी के पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, सैं हैं)।
- (29) अनुबन्ध के अन्तर्गत उठने वाले समस्त वाद-विवाद कि सुनवाई का अधिकार प्रबन्ध संचालक दुग्ध संघ के पास सुरक्षित होगा। विवाद की स्थिति में आर्बीटेशन में जाना होगा एवं उसका निर्णय मान्य होगा।
- (30) निविदा प्राप्त करने या इसके क्रियान्वयन हेतु दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को किसी भी प्रकार की रिश्वत / कमीशन / उपहार यदि निविदादाता द्वारा दिया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में माना जावेगा एवं निविदा निरस्त कर दी जावेगी व उत्पन्न देने वाले समस्त नुकसान की भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से बिल / धरोहर राशि सैं की जावेगी।
- (31) यदि निविदा दर अप्रत्याशित अधिक हो तो प्रबन्ध संचालक नेगोशियेशन का अधिकार सुरक्षित रखेंगे।
- (32) अनुबन्ध के अन्तर्गत किसी किसी भी प्रकार की शर्त जोड़ने, घटाने अथवा पृथक करने के सर्वाधिकार प्रबन्ध संचालक के पास सुरक्षित रहेंगे। जिन्हे मानना निविदादाता की बाध्यता होगी।
- (33) उक्त निविदा 15 बीएमसी मार्गों के लिये है। जिसमें प्रत्येक मार्ग हेतु 9000 किलोग्राम टेंकर क्षमता की आवश्यकता है। इस प्रकार कुल 15 टेंकर की आवश्यकता है। 9 टन क्षमता के वाहन की दरें मांगी गई हैं। अतः वित्तीय निविदा में (बैरल क्षमता) पर दर प्रति किलोमिटर दर्शानी होगी। 9000 किलोग्राम तक दुग्ध परिवहन करने पर निविदा में स्वीकृत दर के आधार पर ही भुगतान देय होगा। 9000 किलोग्राम से अधिक दुग्ध परिवहन करने पर मार्ग की अंतिम बीएमसी समिति से संघ डेयरी डॉक तक की दूरी का प्रोरेटा दर से भुगतान किया जायेगा।
- (34) उक्त निविदा 15 मार्गों हेतु है। जिसका विवरण निविदा प्रपत्र के पेज स. 18 से 21. पर उपलब्ध है। इन मार्गों पर परिवहन चयनित टेंकरों के माध्यम से किया जा सकेगा। इस हेतु प्रभारी पीएण्डआई द्वारा प्रत्येक माह आदेश जारी किये जायेंगे। आवश्यक होने पर माह के दौरान भी टेंकर का मार्ग बदला जा सकेगा। किसी भी निविदादाता के टेंकर का मार्ग स्थायी नहीं होगा।



- (35) 15 बीएमसी मार्ग पर 15 टेंकर हेतु एक L1 निविदादाता होगा व दूसरा निविदादाता L2 से वार्ता की जा सकेगी। बशर्त L1 की दर पर परिवहन कार्य हेतु सहमत हो।
- (36) निविदादाता द्वारा उक्त निविदा भरते समय यदि दुग्ध संघ में किसी भी प्रकार की कोई बाकीयात हे तो वो तकनीकी भाग खुलने के एक दिन पहले तक सारी बाकीयात दुग्ध संघ में जमा करा देंगे। अन्यथा वह निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।
- मैंने उपरोक्त क्रम 1 से 36 तक के सभी निर्देश अच्छी तरह पढ लिये है एवं उसी अनुरूप मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र भरा गया है। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है। तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)

## दुग्ध परिवहन ठेके सम्बन्धी विशेष नियम एवं शर्तें

- (1) निविदादाता को दुग्ध संघ द्वारा स्थापित **बीएमसी** दुग्ध मार्ग से उदयपुर दुग्ध संघ सयंत्र तक दुग्ध इन्सुलेटेड टैंकर से परिवहन करना होगा।
- (2) ठेकेदार को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के समय यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित मार्ग से भी गन्तव्य स्थान पर दुग्ध पहुंचाना होगा। जिसकी वास्तविक दूरी का भुगतान प्रमाणीकरण पश्चात स्वीकृति पर ही किया जा सकेगा अन्य किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
- (3) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन पूर्ण रूप से सही स्थिति में होना चाहिये एवं राजस्थान परिवहन विभाग से भार वाहन कार्य के लिए पंजीकृत होना चाहिये। वाहन का **मॉडल जनवरी 2020** से पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (4) ठेकेदार को पूर्ण रूप से इन्सुलेटेड एवं निर्मित वाहन उपलब्ध कराना होगा ताकि परिवहन के दौरान दुग्ध का तापक्रम  $1^{\circ}\text{C}$  से अधिक न बढ़ पावे। टैंकर (बेरल) स्टेनलेस स्टील (S.S.) का होना चाहिये। बीएमसी दुग्ध समिति से दुग्ध उठाते समय दुग्ध के तापक्रम का विशेष ध्यान रखे। दुग्ध संघ मुख्यालय पर प्राप्त दुग्ध का तापक्रम  $6^{\circ}\text{C}$  से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अन्यथा 6 डिग्रीसेन्टिग्रेड से अधिक आने पर 1000 रुपये प्रति डिग्रीसेन्टिग्रेड के हिसाब से शास्ती लगाई जायेगी।
- (5) ठेकेदार को वाहन को दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध/बताये गये तरीके से पैंट कराना होगा।
- (6) यदि किसी दौरान ठेकेदार द्वारा बिना इन्सुलेशन का वाहन उपलब्ध कराया गया तो संघ द्वारा ठेकेदार के उस माह के परिवहन बिल से 40% राशि कटौती कर ली जावेगी। साथ ही दुग्ध की गुणवत्ता खराब (खट्टा/फट्टा) होने पर नियमानुसार कटौती की जानी है।
- (7) ठेकेदार को उसके कर्मचारियों/नौकरों को पहचान पत्र उपलब्ध कराने आवश्यक होंगे।
- (8) निविदादाता को दुग्ध संघ की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय सारणी के आधार पर वाहन उपलब्ध कराना होगा एवं उक्त समय सारणी के अनुसार दुग्ध परिवहन करना होगा। यदि दुग्ध संकलन में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है तो ठेकेदार को प्रबन्ध संचालक अथवा कार्यालय प्रभारी के निर्देशों के आधार पर वाहन की अतिरिक्त पारी की व्यवस्था करनी होगी।
- (9) वाहन निर्धारित कार्य हेतु उपलब्ध करवाने से पूर्व वाहन का निरीक्षण दुग्ध संघ के अधिकृत व्यक्ति को कराना होगा एवं जब भी कभी किसी कारण से वाहन बदला जाता है तो दुग्ध संघ की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (10) उपरोक्त किसी भी शर्तों की अवहेलना करने पर ठेका संघ प्रबन्धन द्वारा बिना किसी चेतावनी के समाप्त कर दिया जावेगा। जिसके लिए ठेकेदार का किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (11) निर्धारित कार्यावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने अथवा लापरवाही बरतने पर प्रबन्ध संचालक को पूर्ण अधिकार होगा कि वे किसी अन्य व्यक्ति / फर्म से निर्धारित कार्य करा लेवे। इस से दुग्ध संघ को होने वाली किसी भी प्रकार की होने वाली हानि, अधिक खर्च के लिए सम्बन्धित निविदादाता जिम्मेदार रहेगा। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर प्रबन्ध संचालक को अधिकार होगा कि वे उक्त निविदा को निरस्त कर सकते हैं।
- (12) वाहन की साफ सफाई ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी। सम्भवतया दुग्ध संघ द्वारा धुलाई हेतु मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी, परन्तु यह प्रावधान दुग्ध संघ पर बाध्यकारी नहीं होगा।
- (13) यदि निर्देशित कार्यावधि के दौरान किसी भी समय वाहन निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो ठेका निरस्त किया जा सकेगा। इससे दुग्ध संघ को होने वाली हानि की भरपाई ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
- (14) ठेकेदार को वाहन बीएमसी दुग्ध मार्ग हेतु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई समय सारणी के अनुसार ही चलाना होगा। यदि वाहन निर्धारित समय से देरी से आता है तो इससे दुग्ध संघ/समितियों को होने वाली हर प्रकार की हानि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा एवं हानि की भरपाई उसी माह के परिवहन बिल/धरोहर राशि/बैंक गारण्टी से कर ली जावेगी। इसके साथ ही समय से देरी से आने पर निम्न अनुसार शास्ती भी लगाई जा सकेगी –
- निर्धारित समय से 30 मिनट तक देरी से आने पर कोई शास्ति नहीं लगाई जावेगी।
  - 30 मिनट से अधिक देरी से आने पर रु. 1000/- प्रति आधा घण्टा की शास्ति लगाई जावेगी।
  - विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध संचालक महोदय स्वीकृति पश्चात् छूट दी जा सकेगी।
- (15) ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया टैंकर ब्रेक डाउन/दुर्घटनाग्रस्त होने पर ठेकेदार को अन्य वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करना होगा। ठेकेदार यदि किसी भी दिन दुग्ध परिवहन समयानुसार करने में असमर्थ रहता है तो संघ दुग्ध परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर करेगा एवं रु. 5000/- प्रति दिन की शास्ती भी ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/अमानत राशि/बैंक गारण्टी से वसूल की जायेगी।
- (16) दुग्ध समितियों पर स्थापित बल्क मिल्क कुलर से दुग्ध टैंकर में लोडिंग करने हेतु आवश्यक श्रमिक टैंकर ठेकेदार नियोजित करेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त टैंकर ड्राइवर/हेल्पर की दुध चोरी/मिलावट की शिकायत या समितियों से प्राप्त दुध की गुणवत्ता/मात्रा की कमी की शिकायत प्राप्त होने पर शास्ती आरोपित की जा सकेगी व दोषी व्यक्ति को टैंकर से हटाना होगा व संघ परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी जायेगी एवं अनुबंध भी निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबन्ध संचालक महोदय उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० उदयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

- (17) ठेकेदार को अपने बिल प्रति माह की 2 तारीख तक संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में मार्ग प्रभारी/जोन प्रभारी को प्रस्तुत करने होंगे। भुगतान प्रति पारी किलोमीटर के प्रमाणीकरण के पश्चात ही देय होगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर रु. 100/- प्रतिदिन तक (अक्षरे सौ रु. मात्र) सम्बन्धित माह के दुग्ध परिवहन बिल से वसूल जा सकेगी। जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगा। बिल के साथ सम्बन्धित मार्ग की बीएमसी समितियों से बकाया नही होने का प्रमाण पत्र सलग्न करना होगा। बिल का प्रारूप स्टोर पीएण्डआई से प्राप्त किया जा सकेगा। असामान्य परिस्थिति में भुगतान में देरी होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज देय नही होगा। साथ ही ठेकेदार को बिल के एवज में कोई अग्रिम राशि नही दी जायेगी।
- (18) ठेकेदार के बिलों से इनकम टैक्स/अन्य वैधानिक करों की कटौती समय-समय पर नियमानुसार दुग्ध संघ द्वारा कर ली जावेगी।
- (19) भुगतान रेखांकित चैक द्वारा मासिक आधार पर किया जावेगा।
- (20) समिति/संघ द्वारा ठेकेदार के डाइवर/खलासी को जो भी डाक, पत्रादी/दुध संबंधी चालान ट्रकशीट व अन्य सामग्री दी जावेगी वो उसे सुरक्षित समिति/संघ को देनी होगी। प्रपत्रों को खोने अथवा कांटछांट करने पर अथवा दुर्भावना पूर्ण अन्य कार्यवाही करने पर एवं समिति स्टोर से सामान परिवहन न करने पर राशि 500/- तक जुर्माना किया जा सकेगा एवं हानि की पूर्ति उसके बिल से की जावेगी। वाहन ठेकेदारों को अपने वाहन में निर्देशानुसार समस्त समितियों/केन्द्रों पर टिके, एसिड, एल्कोहल, वेटकाल, डाक, बिल, मिनरल मिक्सचर, घी अन्य सामान जिस दिन जारी किया जाता है उस दिन माल जैसा हो वैसा ही पहुंचाना होगा एवं दूसरे दिन संबंधित समितियों/केन्द्रों की प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। घी परिवहन हेतु 1 रु. प्रति लीटर/क्रि.ग्रा. एवं नमक बीज एवं मिनरल मिक्सचर हेतु 20 पैसा प्रति किलोग्राम से सम्बन्धित दुग्ध समिति से भुगतान देय होगा।
- (21) कार्य आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार को कार्य आरम्भ करना आवश्यक होगा।
- (22) दुग्ध संघ के कर्मचारियों की किसी प्रकार की हडताल के बावजूद भी ठेकेदार को अपना कार्य विधिवत जारी रखना आवश्यक होगा।
- (23) दुग्ध परिवहन ठेकेदार के किसी टेंकर से दुग्ध परिवहन के समय दुग्ध की चौरी करते हुए, कमी अथवा बिखराव, रिकॉर्ड/ट्रकशीट में हेरा-फेरी कांट-छाट, दुग्ध में किसी तरह की मिलावट करते हुए या अन्य किसी तरह की भ्रष्ट कार्यवाही/आचरण करते हुए पाये जाने पर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध में हुई हानि को वसूल किया जावेगा तथा इसके अलावा दुग्ध हानि के 10 गुना तक शास्ति आरोपित की जा सकती है तथा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा सकेगी एवं दुग्ध संघ द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर परिवहनकर्ता ठेकेदार को काली सूची (Black List) में दर्ज किया जा सकता है। परिवहन कर्ता ठेकेदार की बकाया राशि, धरोहर राशि, बैंक गारण्टी आदि से दुग्ध संघ की हानि एवं शास्ति वसुली की जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (24) प्रबन्ध संचालक की अनुमति के बिना दुग्ध परिवहन का कार्य ठेकेदार द्वारा किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जावेगा।
- (25) वाहन के खराब होने पर अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर ठेकेदार दुग्ध परिवहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु बाध्य रहेगा। दुर्घटना की स्थिति में दुग्ध के नुकसान हेतु भी वह जिम्मेदार रहेगा। ऐसी स्थिति में किसी अन्य वाहन से सम्बन्धित मार्ग से दुग्ध परिवहन करने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। इस सम्बन्ध में की जाने वाली कटौती हेतु प्रबन्ध संचालक का निर्णय अन्तिम होगा। फिर भी आवश्यकता पडने पर अन्य वाहन लगाने के इस तरह की आकस्मिक व्यवस्था प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति पश्चात की जा सकेगी जो कि किसी अस्थायी समय के लिए ही होगी एवं नीतिगत रूप से लगातार नहीं रखी जा सकेगी।
- (26) निविदादाता के पास टेंकर के परिवहन अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं इंश्योरेन्स ईत्यादी की स्वयं के हस्ताक्षरशुदा छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं अनुबंध स्वीकृत होने व कार्यादेश दिये जाने से पूर्व मूल दस्तावेज से सत्यापन करवाना होगा। ठेकेदार को राजस्थान मोटर अधिनियम, परिवहन नियमों एवं वाहन संचालन संबंधित समस्त नियमों की पालना करनी होगी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज टेंकर के साथ रखना होगा। किसी भी विभाग द्वारा उल्लंघन/ दस्तावेजों के अभाव में शास्ती/जबती के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा संघ की जिम्मेदारी नहीं होगी। संयंत्र में वाहन से किसी भी कारण होने वाली समस्त हानि ठेकेदार से वसूल कि जावेगी एवं प्रबंध संचालक के निर्णय अनुसार शास्ती भी लगाई जा सकेगी।
- (27) सफल निविदादाता को संघ के कर्मचारी/अधिकारी/समिति प्रतिनिधि को टेंकर के साथ लाना ले जाना होगा। संघ से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी/समिति प्रतिनिधि के अतिरिक्त चालक हेल्पर के अलावा कोई बाहरी सवारी/व्यक्ति पाये जाने पर रु. 500/- तक शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
- (28) प्रबन्ध संचालक अथवा उसके द्वारा अन्य अधिकृत अधिकारी को किसी भी समय दुग्ध मार्ग पर वाहन के निरीक्षण का अधिकार रहेगा।
- (29) वाहन में आवश्यक ईंधन/लुब्रिकेंट व अन्य सामान जो कि वाहन के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है का खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा। वाहन का माईलोमीटर मार्ग पर रहने के समय चालू स्थिति में होना चाहिए।
- (30) ठेकेदार को बीएमसी समितियों से प्राप्त किये गये दुग्ध की दैनिक रिपोर्ट लाकर दुग्ध संघ को उपलब्ध करानी होगी। बीएमसी समितियों द्वारा भेजे गये दुग्ध की मात्रा एवं गुणवत्ता दुग्ध संघ में पहुँचाए गये दुग्ध से मिलान होनी आवश्यक होगी। यदि दुग्ध की मात्रा एवं गुणवत्ता में किसी प्रकार की हानि होती है तो, दुग्ध संघ द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, ठेकेदार को वहन करनी होगी। साथ ही रु. 1000/- तक की शास्ति भी आरोपित की जा सकेगी।

**निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर**

- (31) ठेकेदार/ ठेकेदार प्रतिनिधि को संघ द्वारा स्थापित बल्क मिल्क कूलर समितियों पर सचिव/समिति प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्राप्त दुग्ध की मात्रा (किलो में), फ़ैट प्रतिशत, एस.एन.एफ. प्रतिशत एवं दुग्ध गुणवत्ता के सम्बन्धित टेस्टिंग करवानी होगी। उक्त टेस्टिंग के सम्बन्धित ब्युटेरोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर इत्यादि टेस्टिंग सम्बन्धि उपकरण संघ द्वारा केलीब्रेट कर ठेकेदार को प्राप्त करने होंगे। जिसका उल्लेख संघ द्वारा दिये गये प्रपत्र में दर्शानी होगी। जिस पर सचिव/ समिति प्रतिनिधि एवं टेंकर ठेकेदार/ठेकेदार प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। बीएमसी का जनरल सेम्पल संघ में उपलब्ध कराना होगा। अर्थात् सभी बीएमसी से जनरल सेम्पल निर्धारित बोतलों में सील्ड बोक्स में दुग्ध संघ की प्रयोगशाला में जांच हेतु लाने होंगे। संघ स्तर पर टेंकर का सेम्पल लिया जाकर उसकी जांच की जावेगी। परिवहन ठेकेदार को फ्लशिंग की अनुमति नहीं होगी एवं जीरो फ्लशिंग पर दुग्ध लाना होगा एवं दुग्ध की मात्रा में यदि हानि होती है तो उसकी पुर्ण कटोती संघ में लागु क्रय दर मय सभी योजनाओं के दर से की जायेगी। संघ से दी जा रही ट्रकशीट को पुर्ण भर कर लानी होगी। बीएमसी समितियों से संघ में भेजे गये दुग्ध की टेंकर की टेस्टिंग तथा बीएमसी की कूल टेस्टिंग में किलो फेट/किलो एसएनएफ की हानि की कटोती की गणना मासिक आधार पर की जावेगी एवं आरसीडीएफ के आदेश क्रमांक 32963-97 दिनांक 19.09.2022 की अनुपालना में रोजाना आने वाले बीएमसी टेंकरों में किलो फेट/एसएनएफ की हानि में 0.25% किलो फेट एवं 0.25 प्रतिशत किलो एसएनएफ कम करने के पश्चात हानि की गणना संघ में लागु क्रय दरों से कर, समस्त हानि की कटोती की जावेगी।
- (32) ठेकेदार को नियोजित किये गये वाहन पर संघ के निर्देशानुसार सरस दूध उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर व निर्धारित मोनोग्राम लिखवाना होगा एवं अनुबन्ध समाप्ति पर वाहन पर से संघ का नाम व सरस से सम्बन्धित समस्त मोनोग्राम हटाने होंगे। तत्पश्चात् की अंतिम भुगतान एवं जमा अमानत राशि लौटाने हेतु अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा।
- (33) अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर वाहन ठेकेदार को समस्त समितियों /केन्द्रो अनुभागो से बकाया नही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद ही अन्तिम बिल भुगतान की कार्यवाही की जावेगी एवं सिक्क्यूरीटी राशि अनुबन्ध पश्चात विभाग द्वारा लौटाई जा सकेगी। तीन माह में बकाया नही प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर अंतिम भुगतान बिल व धरोहर राशि देय नही होगी। यदि ऐसा ठेकेदार की लापरवाही से होता है।
- (34) संस्था के हितो को मद्देनजर रखते हुए यदि आवश्यक हुआ तों ठेका प्रबन्ध संचालक के निर्णय अनुसार किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा एवं इससे ठेकेदार को होने वाली हानि की भरपाई दुग्ध संघ द्वारा नही कि जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (35) डीजल/सीएनजी की दरों में रू. 1 या इससे अधिक की वृद्धि/कमी होने पर संघ द्वारा समय-समय पर किलोमीटर दर से अनुपातिक परिवर्तन किये जावेंगे। सामान्यतः टेंकर वाहन जिसकी दुग्ध परिवहन क्षमता लगभग 9000 क्रि.ग्रा. के लिए 7/9 किलोमीटर प्रति लीटर डिजल/सीएनजी खपत मानी जावेगी।
- (36) टोल टैक्स का वास्तविक भुगतान मासिक आधार पर टोल टैक्स की रसीदे प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।
- (37) टेण्डर अवधि में यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी टेंकर ठेकेदार की होगी।
- (38) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू अगर सर्विस टैक्स लगता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- (39) ठेकेदार को रू. 100/- संघ सदस्यता शुल्क जमा करा कर नोमिनल सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
- (40) समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।
- (41) पार्ट "अ" सक्षमता/योग्यता के परख के उपरान्त सफल एवं योग्य पाये जाने पर ही पार्ट "ब" को खोला जावेगा। पार्ट "अ" में असफल पाये जाने वाले निविदादाता को अयोग्य मानते हुए उनका निविदा प्रपत्र पार्ट "ब" नहीं खोला जावेगा।
- (42) ठेकेदार कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सक्षम एवं निपुण व्यक्तियों को ही नियोजित करेगा। नियोजित व्यक्ति की सुचना ठेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करानी होगी। अपराधिक प्रवृत्ति/संघ द्वारा प्रतिबंधित अथवा शारिरीक रूप से अयोग्य/अवयस्क व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त नहीं कर सकेगा। टेंकर पर कार्यरत वाहन चालक/हेल्पर आदि के फोटो युक्त पहचान पत्र ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे। नियोजित व्यक्ति शारिरीक रूप से स्वस्थ होना चाहीये एवं उसका रजिस्टर्ड चिकित्सक से स्वस्थ एवं संक्रामक रोग मुक्त होने का प्रमाण पत्र संघ में उपलब्ध कराना होगा। स्वच्छता के सामान्य नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। दुग्ध परिवहन कार्य में अनियमितता पाये जाने पर वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को तुरन्त हटाना होगा। आम हड़ताल, रोड़ जाम होना, रोड़ पर दुर्घटना होने पर रास्ता बंद होने आदि की स्थिति में भी ठेकेदार एवं स्टाफ को दुग्ध समय पर संयंत्र में लाना होगा। कार्य में बाधा उत्पन्न करना दंडनीय होगा व कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये स्वयं को सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। परिवहन ठेकेदार एवं उसके स्टाफ द्वारा किसी भी शिकायत/समस्या को लेकर कार्य बाधित किये जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही करते हुए शास्ती भी आरोपित की जायेगी तथा अनुबंध भी समाप्त किया जा सकेगा। परिवहन ठेकेदार संघ द्वारा निष्कासित व्यक्तियों को वाहन पर नहीं रखेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (43) ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में ठेका छोड़कर नहीं जा सकता है यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोड़कर जाता है तो संघ स्वीकृत निविदादाता के खर्चे एवं जोखिम पर वैकल्पिक व्यवस्था करेगा एवं अतिरिक्त लागत तथा अनुबन्ध भंग की शास्ती जो प्रबन्ध संचालक उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लि.उदयपुर द्वारा निर्धारित की जावेगी। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल, बैंक गारण्टी की राशि, अमानत राशि, चल- अचल सम्पत्ति से की जाकर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि कटौती पश्चात शेष राशि प्रबन्ध संचालक महोदय के निर्देशानुसार देय होगी।
- (44) निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act 2006) के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीकृत प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में कार्यआदेश पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- (45) प्रत्येक बीएमसी से दुग्ध प्रतिदिन निर्धारित समय सारिणी अनुसार लाना होगा। एक दिन छोड़कर दूसरे लाने पर रु. 500/- तक की शास्ति लगाई जा सकेगी। साथ ही दूध खराब होने पर हानि की वसूली जी जायेगी। परिवहन ठेकेदार को बीएमसी समिति पर दुध को जांच परख कर स्वीकार करना होगा। संघ स्तर पर दुध खट्टा प्राप्त होता हे तो एसी स्थिति मे दुध खट्टा होने पर प्रचलित दुध बिक्रि (आएमजी) की दर पर 75% राशि एवं दुध दही होने पर पुरी कीमत ठेकेदार से वसुल की जायेगी। खट्टा/दही ठेकेदार को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। समिति पर बीएमसी में दुध खट्टा/दही होने की स्थिति में यदि ठेकेदार दुध स्वीकार नहीं करता हे तो एसी स्थिति मे उसे लिखित में संघ को सुचित करना होगा।
- (46) बीएमसी में खाली एवं भरे टेंकर के वजन के समय किसी भी प्रकार की अनियमितता पाया जाने की स्थिति में शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
- (47) ठेका अवधि में ठेका शर्तों में आवश्यक होने पर नई शर्त जोड़ी जा सकती है। जिसे अनुबन्धक को स्वीकार करना होगा।
- (48) अपराधिक प्रवृति वाला व्यक्ति निविदा मे भाग नहीं ले सकेगा। यदि लेता है और बाद मे भी पता लगता है तो उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- (49) दुग्ध संघ निर्देशानुसार बीएमसी समितियों से डाटा आनलाईन भिजवाया जाने हेतु टेंकर ठेकेदार को भी वाहन मे लगे स्टाफ को स्मार्ट फोन/एंड्राईड मोबाईल अपने स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराना होगा।
- (50) दुग्ध संघ निर्देशानुसार टेंकर ठेकेदार को सभी बीएमसी समिति से दुध का सेम्पल अलग से लाना होगा। सेम्पल नहीं लाने पर रु. 200/- प्रति समिति की शास्ति लगाई जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



- (51) निविदादाता को निधारित क्षमता के इन्सुलेटेड टैंकर से उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर द्वारा विभिन्न दुग्ध मार्गों पर स्थापित किये गये बीएमसी से समय सारणी अनुसार दुग्ध टैंकर उदयपुर डेयरी संयंत्र तक दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। जिसमें प्रबन्धन द्वारा समय समय पर दुग्ध मार्ग/मार्गों का बदलाव किया जा सकेगा/सकता है। जिसके लिए निविदादाता/ठेकेदार बाध्य रहेगा। परिवहन ठेकेदार द्वारा किसी निश्चित मार्ग पर दुग्ध परिवहन नहीं कर रोटेशन पद्धति से संघ के निर्देशानुसार विभिन्न मार्गों से दूध परिवहन करना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर शास्ति लगाना अथवा अनुबंध निरस्त करना ब्लेकलिस्ट करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक महोदय को रहेगा।
- (52) वाहन ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व अनुमति के अगर अन्य टैंकर बीएमसी मार्ग पर लगाता है तो उस पर रु. 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी। टैंकर खराब होने पर उसका प्रमाण पत्र संघ में प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित वाहन अन्य संघ में लगता है तो न्यूनतम रूपये 10,000/- की शास्ति लगाई जायेगी एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा।
- (53) सेम्पल बाक्स के टुट जाने पर इसकी राशि 3000/- रूपये प्रति बाक्स की ठेकेदार से कटौती की जा सकेगी। यदि जानबुझकर सेम्पल बाक्स तोड़ा जाना पाया गया तो परिवहन ठेकेदार पर 2000/- रूपये की शास्ती आरोपित की जावेगी।
- (54) संयंत्र में स्थित धर्म कांटे पर प्रत्येक दिन भरा एवं खाली टैंकर का वजन कराना होगा। टैंकर के अनलोड होने के 30 मिनट पश्चात तक यदि खाली टैंकर का वजन नहीं करवाया जाता है तो 100 रूपये प्रति घण्टे की दर से शास्ती आरोपित की जायेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में दुध कम होने पर दुध की राशि वसुल की जायेगी एवं शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
- (55) अनुबंध अवधि में ठेकेदार की मृत्यु होने पर अनुबंध समाप्त माना जायेगा। संघ द्वारा नवीन व्यवस्था संघ के हर्जे खर्जे पर की जावेगी।
- (56) बीएमसी समिति से दुध लेकर आने वाले टैंकर में यदि टैंकर के केबिन में बदनियत से पानी से भरे हुए जरिकेन, गाड़ी की कमानी/पत्ते और बाह्य पदार्थ पाये जाने पर न्यूनतम रूपये 5000 की शास्ती आरोपित कि जायेगी।
- (57) टैंकर चालक/परिवहन ठेकेदार का प्रतिनिधी लेब में टेस्टिंग करवाने जावेगा तो केलकुलेटर और मोबाईल साथ में लेकर नहीं जावेगा। सामान्य टेस्टिंग के पश्चात् रि-टेस्टिंग केवल एक बार ही की जावेगी। टैंकर चालक/वाहन प्रतिनिधी लैब में रूट की टेस्टिंग के समय निर्धारित स्क्रीन पर टेस्टिंग देख सकेगा। डॉक पर टैंकर लगाने के पश्चात् डॉक/लेब/संयंत्र क्षेत्र में मोबाईल का प्रयोग वर्जित होगा। इसका उल्लघन करने पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

- (58) वाहन ठेकेदार के मासिक बिल से एस.एन.एफ/फैट प्रतिशत एवं दुग्ध घटोतरी की हानि की असामान्य कटौति होने पर प्रभारी कृषक संगठन की अनुशंषानुसार एक माह की अवधि के लिये निलम्बित (सस्पेन्ड) किया जा सकेगा तथा निरन्तर ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबन्ध संचालक महोदय उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर का निर्णय अंतिम एवं अनुबन्धकर्ता को मान्य होगा।
- (59) परिवहन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर जी.पी.आर.एस. स्थापित करवाना होगा एवं उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी। जीपीआरएस सिस्टम दुग्ध परिवहन के समय चालु होना आवश्यक हैं। चालु नहीं होने की स्थिति में अनियमितता मानी जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही कर शास्ति आरोपित की जा सकेगी।
- (60) वाहन ठेकेदार को प्रतिमाह वाहन के रखरखाव की रिपोर्ट दुग्ध संघ में प्रस्तुत करनी होगी।
- (61) निविदादाता दुग्ध संघ में दुग्ध परिवहन कार्य करने हेतु केवल एक टेंकर हेतु निविदा भर सकता है। मेरे द्वारा क्र.स. 1 से 61 तक विशेष नियम एवं शर्तें पढने के पश्चात निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये गये है।

## बीएमसी मार्गों की सूची।

क.सं.	खेरोदा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	रतनपुरा
2	भमेला-बी
3	भुणा तालाब
4	कडेचा
5	चारगदिया
6	खेडली
7	अमरपुरा
8	खेरोदा
9	मनोहरपुरा
10	नयाघर

क.सं.	झाडौल बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	कंधारिया
2	ढिमडी
3	गोगला
4	ब्राहमणों का खेरवाडा
5	गुजरो का गुडा
6	नयाखेडा
7	काछबा
8	गोगुन्दा

क.सं.	जयसमंद बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	पिलादर
2	खेराडा
3	बरोडा
4	गुड
5	भावावतवाडा
6	डाल नामचोत
7	डाल
8	अदकालिया
9	बस्सी सामचोत
10	विरपुरा
11	कंतोडा
12	अमरपुरा

क.सं.	भीण्डर बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	कच्छेर
2	रावतपुरा
3	बोरिया
4	आम्बागुडा
5	गरु तलाई
6	वसुआ भागल
7	लौदा
8	पानी कोटडा
9	सबलावत
10	कडूणी
11	ब्राहमणों का तालाब

क.सं.	गोगुन्दा बीमएसी मार्ग
1	रावलियाखुर्द
2	ब्राहमणों की भागल
3	नान्देशमा
4	शोभावास
5	मन्नाजी का गुडा
6	नारो का गुडा
7	सेमड
8	ब्राहमणों का कलवाना

क.सं.	कुंथवास बीएमसी मार्ग
1	कुण्डई
2	जलिया बावडी
3	नीमडी
4	गाडरियावास भागल
5	भोपाखेडा
6	हमेरपुरा
7	नया हिन्ता
8	हिन्ता
9	वरणी
10	बडगांव
11	नान्दोली
12	मेनार

क.सं.	झल्लारा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	खोलडी
2	बरबडी
3	बडी विरवा
4	जैताना
5	गरडा
6	कल्याणा
7	झल्लारा
8	देवगांव
9	केरावदिया
10	हर
11	करावली

क.सं.	मजावडा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	नारायणपुरा
2	डांगीखेडा
3	वाना
4	बरोडिया
5	खडोदा
6	इंटाली
7	कीकावास
8	तारावट
9	खोखरवास
10	रेहटा तालाब
11	मंदेरिया
12	गाडरियावास

क.सं.	नन्दीवेला बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	कोट
2	चरमर
3	भीनमाल
4	गुडली
5	आंजना
6	धोलीखेडा
7	लग
8	आवरा
9	केडिया
10	फिला
11	सोमाखेडा
12	धमकाचोडा
13	नन्दीवेला
14	बोरी

क.सं.	वली बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	खेडी
2	कराकली
3	उथरदा
4	सेमाल
5	जावद
6	गुडा
7	अजबरा
8	रोबा
9	भागलवाला
10	वली
11	नाड
12	सेजलाई
13	बिछडी

क.सं.	सल्लाडा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	ढाकरडा
2	नावडा
3	बाणाकला
4	हमीरगढ
5	सल्लाडा
6	बेहुती
7	वेजपूर
8	झाडोल
9	प्रतापपुरा
10	श्यामपुरा
11	श्यामपुरा –बी
12	धावडिया

क.सं.	कुण बलीचा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	ईडाणा
2	कोटा
3	धावडी
4	मानपुरियों का गुडा
5	छापरिया
6	बलीचा
7	नीमडी कानोड
8	सांरगपुरा

क.सं.	सराडा बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	डिंगरी
2	कातनवाडा
3	बण्डोली
4	केजड
5	नीमच
6	सेपुर
7	नया सराडा
8	हिमावतों की भागल
9	श्यामपुरा सेमारी
10	करावाडा

क.सं.	बडावली बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	भैरवा
2	सिपुर
3	गोपालपुरा
4	रुआब
5	रुआब-बी
6	डंगार
7	जेमलपुरा
8	खेरुआ
9	बडावली
10	टाण्डा बडावली
11	ढाणी
12	थडा
13	थरोडा
14	बडगांव

क.सं.	मावली बीएमसी दुग्ध मार्ग
1	घासा
2	नान्दवेल
3	सालेराकलां
4	तलाई मामादेव
5	खेमपुर
6	सालेराखुर्द
7	कुंचौली
8	साकरोदा
9	फौजाबा का कुंआ
10	फतहपुरा
11	लदाना
12	लदानी
13	डांगीखेडा
14	चंगेडी

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .  
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B  
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 1: Compliance with the code of Integrity and No. Conflict of Interest**

Any person participating in a procurement process shall-

- a. not offer any bribe, reward or gift of any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to and party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is, considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

1. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process, participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same Subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. The Bidder or any. of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid: or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .  
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B  
Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 2 : Declaration by the Bidder regarding Qualifications**

**Declaration by the Bidder**

In relation to my / our Bid submitted to Managing Director , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas , Udaipur (Rajasthan ) for procurement of .....  
.....in response to their Notice Inviting bid No.....Dated ..... I /we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any Local Authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities Suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the, commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:  
Place:

Signature of Bidder  
Name:  
Designation:  
Address:



**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 3 : Grievance Redressal during Procurement Process**

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman , Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited , Goverdhan Vilas, Udaipur (Rajasthan).

The designation and address of the Second Appellate Authority is Managing Director , Rajasthan Co-Operative Dairy Federation Ltd , Saras Sankul, J.L.N. Marg , Jaipur (Rajasthan) .

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable,

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement.
- (b) provisions limiting participation of bidders in the Bid process.
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) cancellation of a procurement process.
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**  
**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(6) Fee for filing appeal .**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees Two Thousand Five Hundred and for Second Appeal shall be rupees Ten Thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank Demand Draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, Up on filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter,
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost,
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**

**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

FORM No. I

[See rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012**

Appeal No.....of.....

Before the..... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal .....

.....( Supported by an Affidavit)

7. Prayer:.....  
.....

Place .....

Date.....

Appellant's Signature

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .  
GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754

**Annexure 4 : Additional Conditions of Contract**

**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis

- i if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be Disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

- (i) At the time of award of contract. the quantity of Goods, Works or Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD .**  
**GOVERDHAN VILAS , UDAIPUR -313002**

GST NO.: 08AAAFU4403B1ZR / PAN NO. AAAFU4403B

*Phone No. 2640188/2640803/ 2640839 Fax no. 2640333/2641754*

(iii) In case of procurement of Goods or Services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original Contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award  
(In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second Lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

**Signature of Bidder**

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED  
GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

---

Annex-5

DECLARATION/ UNDERTAKING

Tender Work : E-Tender for Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

(Tender Notice No. : 2531 Dated 20.11.2024)

Name of Tenderer : .....

I/ We hereby declare

- that my/our Tender rates for the above stated work shall remain valid for a period of 3 (three) months from the date of opening. In case of our revoking or cancelling the Tender within the validity period, UDUSS Ltd, Udaipur is entitled to forfeit the Earnest Money Deposit paid by us along with the Tender.
- that my firm is not black listed by any organization.
- No criminal case is pending against me/my firm.
- I do not have any blood relation with UDUSS Employee's (dairy employees/ official's /BOD's member)

*Signature of Tenderer*

**उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर**  
गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड़ , उदयपुर (राज०)

वाहन सम्बन्धित सूचना :-

क्र.स.	टेंकर की पंजियन संख्या	व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर टेंकर पंजिकृत हैं।	पंजियन अनुसार भरे टेंकर की भार क्षमता	पंजियन अनुसार खाली टेंकर की भार क्षमता	पंजियन अनुसार टेंकर की बेरल क्षमता	वाहन मॉडल
1						

नोट :- वाहन मॉडल जनवरी 2020 से पुराना नहीं होना चाहिये।

मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सुचनाएँ एवं दस्तावेज मेरे ध्यान के अनुसार सत्य सही एवं पूर्ण हैं। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निविदा निरस्त होने के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। संघ द्वारा मेरी निविदा बिना कारण बताये निरस्त किये जाने अथवा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा मेने निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

**UDAIPUR DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LIMITED**  
**GOVERDHAN VILAS, AHMEDABAD ROAD, UDAIPUR**

---

**Detail About Tender Work**

Tender Work : -Tender for Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

**(Tender Notice No. : 2531 Dated 20.11.2024)**

-----

Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.

Route	Tender Cost (Approx)	Proposed Milk Transportation Qty	No of (Approx)	Approx. km (To & Fro)	Insulated Vehicle		Required Cash Security + Bank Gaurantee Rs in lac	Total Security Amount (Rs)
	(Rs In Lac)	(In KG)	Outlets		Capacity (In KG)	Model		
Milk Transportation from BMC Installed by Udaipur Dairy at DCS to Dairy Plant Udaipur.	13.00 Each Tanker	9000	14	200	9000	Jan 2020	2.0+3.0 Lacs	5.0 Lacs

*Signature of Tenderer*



# उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० , उदयपुर

गोवर्धन विलास अहमदाबाद रोड , उदयपुर (राज०)

फोन न० – 2640258, 2640188, 2640179, फैक्स – 2640333

(यह फॉर्मेट संदर्भ हेतु है एवं प्रेषित दरे ऑनलाईन BOQ में भरे)

वित्तीय निविदा प्रपत्र

भाग – “ब”

नाम निविदादाता .....

पता .....

टेलीफोन न./मो.न. ....

1. निविदा सन्दर्भ : 11 / 2024-25  
2. निविदा विषय : ताप-प्रतिरोधक (इन्सुलेटेड) वाहन (टेंकर) द्वारा दुग्ध परिवहन मार्गो पर स्थित बीएमसी दुग्ध समितियो सें उदयपुर डेयरी संयंत्र तक प्रतिदिन दूध परिवहन के अनुबंध कार्य की आपूर्ति हेतू।

**निविदा अवधि – एक वर्ष**

## प्रेषित दर BOQ में अंकित करे

क्र.स.	विवरण	दुग्ध परिवहन क्षमता	निविदादाता द्वारा प्रेषित दर रु. (दर प्रति किमी प्रति 9000 किलो दुग्ध परिवहन क्षमता के आधार पर)
1	दुग्ध संघ द्वारा स्थापित बीएमसी सें डेयरी संयंत्र, दुग्ध संघ उदयपुर तक इन्सूलेटेड टेंकर से दुग्ध परिवहन	<b>9000</b> क्रि.ग्रा.	रूपये ..... प्रति. कि०मी० अक्षरे ..... प्रति. कि०मी०

- नोट : 1. उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन (टेंकर) पूर्ण रूप सें इन्सूलेटेड होना आवश्यक होगा ताकि दुग्ध परिवहन के दौरान 1<sup>0</sup>C से अधिक तापमान का अंतर नही आवें।  
2 9000 क्रि.ग्रा. सें अधिक दुग्ध लाने पर प्रोरेटा दर से भुगतान देय होगा।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर